दिनांक 01.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा फर्जी एटीएस चीफ बनकर मनी लॉड्रिंग का मुकदमा एवं गिरफ्तारी के भय में डालकर लाखों की वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के 03 अभियुक्तों को भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, चेकबुक, लैपटाप/ टैबलेट व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं कूटरचित दस्तावेज सहित किया गिरफ्तार।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये गये राज्यव्यापी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज अन्तर्गत ग्राम गुल्ला का पुरवा निवासी एवं सेवानिवृत्त रेलकर्मी को फर्जी एटीएस चीफ बनकर मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज होने तथा गिरफ्तारी के भय में डालकर दिनाँक 04.11.2025 से 17.11.2025 के मध्य दिये गये विभिन्न बैंक खातों में कुल 41,01000/- (रू0 41 लाख 10 हजार) जमा करा लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में संकलित इलेक्ट्रानिक/ अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अपराध में संलिप्त अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के तीन अभियुक्तों को दिनाँक 30.11.2025 को ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से साइबर क्राइम पुलिस थाना व इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, चेकबुक, लैपटाप/ टैबलेट व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं कूटरचित दस्तावेज की बरामदगी की गयी। गिरोह में संलिप्त अन्य आरोपियों एवं वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि इन्वेस्टमेंट के साक्ष्य का सत्यापन कर शीघ्र विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अनावरित घटना-

दिनाँक 24.11.2025 को थाना हुसैनगंज अन्तर्गत ग्राम गुल्ला का पुरवा निवासी श्री मोती लाल पुत्र स्व0 छेदीलाल उम्र करीब 68 वर्ष से मोबाइल नं0 9027961183 से कालर द्वारा स्वंय को एटीएस चीफ बसन्त लाल बताकर उनके विरूद्ध मनीलान्ड्रिंग के दर्ज केस में गिरफ्तारी का भय दिखाकर दिये गये विभिन्न बैंक खातो में कुल रूपया 41,10000/-दिनांक 04/11/2025 से 17/11/2025 के मध्य जमा करा लेने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर पंजीकृत अभियोग अ0सं0 35/2025 धारा 318(2)/319(2)/3(5)/336(3)/ 338/340(2)/111 बीएनएस व 66सी/66डी आई.टी.ऐक्ट बनाम अज्ञात।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 30/11/2025 समय 10.50 बजे, परी चौक के निकट ग्रेटर नोएडा, उ0प्र0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सार्थक ग्रोवर पुत्र अनिल कुमार ग्रोवर निवासी एफ-115 मानसरोवर गार्डेन थाना कीर्तिनगर जनपद दिल्ली बेस्ट उम्र करीब 29 वर्ष
2. राहुल शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा निवासी सी-18 खोडा कालोनी नियर शिवम हास्पिटल थाना खोडा कालोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष
3. संतोष कुमार पुत्र भूरेलाल गुप्ता निवासी बकेवा थाना बकेवर जनपद इटावा, हाल पता-बन्दा इनक्लेब खोडा कालोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1- घटना मे प्रयुक्त मोबाइल सिम 9027961183 एंव मोबाइल फोन
2- मल्टीमीडिया एण्ड्रायड मोबाइल फोन 34 अदद मय 39 इनसर्टेड सिम
3- कीपैड मोबाइल फोन 05 अदद,
4- लैपटाप. 03 अदद
5- टेबलेट 02 अदद
6- एसएसडी/हार्ड डिस्क 07 अदद
7- PoS Machine (Swipe)-02
8- छोटा प्रिण्टर – 01
9- इण्टरनेट राउटर- 06 अदद
10- विभिन्न कम्पनी के मोबाइल सिम- 14
11- 09 सिम इजेक्टर पिन व अन्य डिवाइस उपकरण/सामग्री,
12- विभिन्न बैको के क्रेडिट/डेविट कार्ड, 83 अदद
13- विभिन्न बैंक खाताधारको के चेकबुक 36 अदद एंव कैंसिल चेक 03 वर्क
14- पासपोर्ट 02
15- मूल/कूटरचित आधार कार्ड-02
16- कूटरचित/मूल पैन कार्ड 02
17- डी0एल0- 01
18- रेजीडेंसी कार्ड (UAE) - 01 अदद
19- क्रय/विक्रय ज्वैलरी रसीद 08 वर्क मय लिफाफा
20- विभिन्न नाम-पता की मुथूथ फाइनेंस रसीद - 10 वर्क
21- दुबई लॉकर की-इनवाइस मय चाभी
22- हाबी किंग जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
23- 12500/-रूपया नगद

कार्य प्रणाली-

1. अभियुक्त सार्थक ग्रोवर का मुख्य कार्य गिरोह में विदेश एवं दक्षिण- पूर्व एशिया से जुड़े साइबर अपराधियों को साइबर फ्राड कर वित्तीय कार्य हेतु उन्हे व्हाट्सएप सहित विभिन्न एप के माध्यम से वार्ता हेतु अन्य नाम- पते से प्राप्त मोबाइल सिम की ओटीपी उपलब्ध कराना।

2. अभियुक्त सार्थक ग्रोवर द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि इन्वेस्टमेंट करने हेतु अपने सहयोगी/ अभियुक्त संतोष कुमार एवं राहुल शर्मा के माध्यम से भोले-भाले लोगों को लालच देकर बैंक विशेष जैसे एच्रडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट, यस बैक, सर्वोदय बैंक एंव अन्य फाइनेंशियल बैंको में खाता खुलावा कर सम्बन्धित के डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम प्राप्त कर प्रयोग में लाया जाता है।

3. अभियुक्तगण संतोष कुमार एवं राहुल शर्मा को बैंक खाता खुलवाने हेतु प्रति खाता 500 से 1000 रू0 बतौर कमीशन पेड किया जाता है साथ ही सम्बन्धित खाताधारकों को 2000/- रू0 प्रतिमाह भुगतान की बात पूछताछ पर बतायी गयी।

4. अभियुक्त सार्थक ग्रोवर को वित्तीय धोखाधडी की धनराशि प्राप्त होने से पूर्व मोबाइल में व्हाट्सप पर YASH एंव DEEP (HARDEEP) नाम के साइबर अपराधी द्वारा धनराशि की मात्रा भेजी जाती है, जिसके उपरान्त सार्थक ग्रोवर द्वारा उन्हे क्यू.आर. कोड भेजा जाता है।

5. अभियुक्त सार्थक ग्रोवर द्वारा दिये गये बैंक खाता/क्यू.आर. कोड पर प्राप्त धनराशि को तत्काल एटीएम या स्वाइप मशीन से बिड्राल कर गोल्ड क्रय एंव USDT (CRYPTO CURRENCY) में बदल

कर आदान- प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अधिकांश बैंक खाताधारको का क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया गया है तथा अधिकतर धनराशि क्रेडिट कार्ड पर प्राप्त किया जाता है।

6. अभियुक्त सार्थक ग्रोवर का पूर्व से पासपोर्ट स्वीकृत है, जिसके माध्यम से विदेश यात्रा भी पूर्व में की गयी है।

7. वादी मुकदमा श्री मोतीलाल के साथ घटित घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन एंव मोबाइल सिम अभियुक्त सार्थक ग्रोवर से बरामद हुई है। इसी मोबाइल फोन एवं सिम का प्रयोग कर इसके द्वारा ओटीपी विदेश में दी गयी है। जिसके माध्यम से वादी मुकदमा को जरिये व्हाट्सअप सम्पर्क किया गया है।

<u>एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या-</u>

1. NCRP शिकायत संख्या – 32901240002757 श्री कृष्ण कुमार, तमिलनाडु।
2. NCRP शिकायत संख्या – 23109250134011 श्री धर्मेन्द्र सिंह, कानपुर नगर, उ0प्र0।
3. NCRP शिकायत संख्या – 31109250176513 श्री कुमार विमरीम, गुजरात।
4. NCRP शिकायत संख्या –31509250023150 श्रीमती अथिरा, केरल।
5. NCRP शिकायत संख्या –31910250187757 श्री मोहित खोसलाम महाराष्ट्र।
6. NCRP शिकायत संख्या – 23107250094431, श्री अमित अरोरा, आगरा, उ0प्र0।
7. NCRP शिकायत संख्या – 30805250043187 श्री संदीप कौशिक, नई दिल्ली।
8. NCRP शिकायत संख्या –31606250069673 श्री रामांजनेय, कर्नाटक।
9. NCRP शिकायत संख्या –31607250089346 श्री देवराज, कर्नाटक।
10. NCRP शिकायत संख्या –32509250030141 श्री दिनेश सैनी, पंजाब।
11. NCRP शिकायत संख्या –32706250023867 श्री आरवी पीटर, तेलगांना।
12. NCRP शिकायत संख्या –31506240012668 श्री टॉमी जैकब, केरल।
13. NCRP शिकायत संख्या –21004240000569 श्री सुरेश अय्या, गोवा।
14. NCRP शिकायत संख्या –21305240017330 श्री परमजीत, हरियाणा।
15. NCRP शिकायत संख्या –23110250172988 श्री रजत कुमार गुप्ता, बरेली उ0प्र0।
16. NCRP शिकायत संख्या –23111250191869 श्रीमती सुनीता यादव, कानपुर, उ0प्र0।
17. NCRP शिकायत संख्या –23111250182215 श्री प्रदीप द्वीवेदी, गाजियबाद, उ0प्र0।
18. NCRP शिकायत संख्या –23109250134011 श्री अनिल चौहान, कानपुर, उ0प्र0।
19. NCRP शिकायत संख्या –23109250138818 श्री रत्नेश मिश्रा, वाराणसी, उ0 प्र0।
20. NCRP शिकायत संख्या –30808250070570 श्री मिदुकमल, दिल्ली।
21. NCRP शिकायत संख्या –311088250170887 श्री संदीप दत्ता, गुजरात।
22. NCRP शिकायत संख्या –31110250221597 श्री खोजमा अरीशवाला, गुजरात।
23. NCRP शिकायत संख्या –31908250149138 श्री विजय राम लखन, महाराष्ट्र।
24. NCRP शिकायत संख्या –31908250149159 श्रीमती सुरेखा गोवर्धन, गुजरात।
25. NCRP शिकायत संख्या –31908250149789 श्री प्रशान्त पंडित, महाराष्ट्र।
26. NCRP शिकायत संख्या –31908250157065 श्री इकबाल अली, महाराष्ट्र।
27. NCRP शिकायत संख्या –330088250001826 श्रीमती नफतली, त्रिपूरा।
28. NCRP शिकायत संख्या –22908230046312 श्री गोविन्द राज, तमिलनाडु।
29. NCRP शिकायत संख्या –31108230105304 श्री अमित कुमार गुप्ता, गुजरात।
30. NCRP शिकायत संख्या –23108230072714 श्री जीवन जोत, गाजियाबाद, उ0प्र0।
31. NCRP शिकायत संख्या –31905240066385 श्री इमरान खान

दिनांक 01.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद अमरोहा/थाना बछरायूँ</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 प्लेट सफेद धातु**
- **चोरी के माल बिक्री के 80 हजार 240 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 30.11.2025 को थाना बछरायूँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फतेहपुर कुण्डारोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–सलीमुद्दीन 2–हफीज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 प्लेट सफेद धातु, चोरी के माल बिक्री के 80 हजार 240 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.11.2025 को थाना बछरायूँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना बछरायूँ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद प्लेट, रूपया आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बछरायूँ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सलीमुद्दीन निवासी नया बस अड्डा कैलाभट्टा थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–हफीज निवासी खडाव्वा थाना अतरौली जनपद अलीगढ़, हालपता कस्बा व थाना जहागीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 प्लेट सफेद धातु।

2–चोरी के माल बिक्री के 80 हजार 240 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 कार**
- **91 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 01.12.2025 को थाना फेस–2 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–92 सर्विस रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–पंकज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–विवेक 3–प्रेमपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 कार, 91 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पंकज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त विवेक व प्रेमपाल के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज निवासी उझयारपुर समस्तीपुर बिहार।

2–विवेक निवासी भट्टमासपुरा भिंड मध्यप्रदेश।

3–प्रेमपाल निवासी मध्यापुर सुरपुरा भिंड मध्यप्रदेश।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 03 कार।

2–91 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

- **<u>जनपद बरेली/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 351(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना नयागांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना नयागांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महावीर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना लाइनबाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिव शंकर उर्फ सटरू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–20 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विवेक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––